रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 1970/ज्येष्ठ 22, 1892

No. 110] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 1970/JYAISTHA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June 1970

G.S.R. 935.—In pursuance of clause 11 of the Sugar (Control) Order, 1966, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 922, dated 10th June, 1966, the Central Government hereby authorises the Technical Officers, the Junior Technical Officers, Assistant Directors and the Inspectors in the Directorate of Sugar and Vanaspati to exercise the powers conferred by sub-clauses (b), (c), (d) and (e) of the said clause.

[No. 1-44/69-S.Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून 1970

सा० का० नि० 935.—शर्करा (नियंत्रण) आदेश 1966 के खण्ड II के अनुसरण में और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 922 दिनांक 10 जून, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार शर्करा और वनस्पति निदेशालय के तकनीकी अधिकारियों, कनिष्ट तकनीकी अधिकारियों, सहायक निदेशकों और निरीक्षकों को एतद्द्वारा उक्त खण्ड के उप-खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० 1-44/69-एस० डी० वाई०]

आर० एस० तलवाड़, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970